



प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2026

विषय:- विशेष शाखा अभिसूचना विभाग जनपद सीतापुर के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-288-2009, दिनांक 08.06.2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासनादेश संख्या-377/6-पु-7-10-2(65)/2009, दिनांक 25.03.2010 द्वारा जनपद सीतापुर में विशेष शाखा अभिसूचना विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रू0 5.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 1.89 लाख अवमुक्त की गयी, जिसका भुगतान कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को किया गया है। प्रश्रुत निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 16.94 लाख के सापेक्ष आंकलित धनराशि रू0 16.82 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा पूर्व में निर्गत धनराशि रू0 1.89 लाख को समायोजित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल अवशेष देय धनराशि रुपये 14,93,000/- (रुपये चौदह लाख तिरानबे हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्रुत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जाय।
- (2) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण किलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (3) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (5) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/ क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना शासन के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (6) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के शासनादेश दि0 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/ मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

08-2014 एवं दि० 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(11) उ०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शा० दि० 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(12) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(13) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें।

चूंकि यह प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है।

(14) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

(15) उ०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-01/2023/ ए-2-60/दस-2023-17 (4)/ 75 दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) उ०प्र० पुलिस मुख्यालय प्रश्रुत प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत की शुद्धता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(17) उ०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) उ०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 शासनादेश दिनांक 02.01.2026 एवं 07.05.2026 एवं नियोजन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-83EPC/35-1-2026, दिनांक 15, जुलाई, 2026 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त तथा गृह (पुलिस) अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1408/2026/1/1434643/2026/6-7099/311/2026, दिनांक 17.08.2026 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

(19) यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-12-302-X-2026-27-दिनांक: 15-10-2026 द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(20) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,93,000 (रुपये चौदह लाख तिरानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002070600 पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अन्नावि दिनेशकुमार

विशेष सचिव।

संख्या-564/2026/1/1496713/2026/001-CN-2084488-6-7099-395-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. उपमहानिरीक्षक, संबंधित परिक्षेत्र।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि०, लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
7. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
10. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
12. गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।